जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 3086 / 2021 दिनांकः 05 जनवरी, 2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,

समस्त महाविद्यालय,

सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषयः महाविद्यालयों में कार्यरत स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के संलग्न पत्र दिनांकः 01.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय / अशासकीय / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण किया गया था।

प्रायः संज्ञान में आ रहा हैं कि महाविद्यालयों में जो शिक्षक अनुमोदित है, उनके स्थान पर अन्य शिक्षक कार्यरत है और उन्हें निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है तथा नियमानुसार ई0पी0एफ0 की कटौती भी नही की जा रही है। ऐसा होने से एक ओर जहाँ शिक्षा की गुणवक्ता प्रभावित हो रही है, दूसरी ओर कार्यरत शिक्षकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की अवहेलना भी हो रही है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके महाविद्यालयों में जो शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये है, वही शिक्षक कार्यरत होने चाहिये तथा विश्वविद्यालय द्वारा जिस पाठ्यक्रम हेतु जो वेतन निर्धारित किया गया है, उसका अनुपालन कठोरता से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि भौतिक जाँच के दौरान उपर्युक्त विसंगति पायी जाती है तो महाविद्यालय के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना विश्वविद्यालय की बाध्यता होगी।

संलग्नः यथोक्त

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 1447 / 2020 दिनांक: 01 जून, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या– 292 / सत्तर–2–2020–18(31) / 2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, अनुदानित एंव स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण अनिवार्यतः सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये है।

तदक्रम में उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की निम्नांकित संस्तुतियों को कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 14 मई, 2020 के मद सं0–7 पर अनुमोदित किया जा चुका है। अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार पृथक–पृथक निम्नानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये है।

क्र0	अनुदानित महाविद्यालयों में **संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम**	शिक्षकों को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह)	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह)
1	बी0ए0	15,000	7,500
2	बी0एस0–सी0(बायोटेक)	8,957	10,000
3	बी0काम0	17,000	8,000
4	एम0ए0	12,000	6,400
5	एम0एस–सी0	15,750	5,000
6	एम0काम0	11,500	5,000
7	एम0एस–सी0–एजी0	10,000	5,000

क्र0	स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में **संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम**	शिक्षकों को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) रू0 में	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) रू0 में
1	बी0ए0	10,400	5,400
2	बी0एस0–सी0(बायोटेक)	11,250	6,300
3	बी0काम0	11,900	7,800
4	बी0एड0	15,600	6,500
5	बी0पी0एड0	10,000	4,300
6	बी0एल0एड0	10,900	5,800
7	एम0ए0	10,600	5,900
8	एम0एस–सी0	10,000	5,000
9	एम0एड0	19,100	10,400
10	एल0एल0बी0	16,000	7,000
11	बी0ए0एम0एस0	60,000	22,100
12	बी0सी0ए0	12,000	8,000
13	बी0एस–सी0–एजी0	12,000	5,000

उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमवार प्रतिमाह वेतन जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की विगत तीन वर्षो की औसत संख्या तथा शिक्षण शुल्क की गणना पर आधारित है, प्रत्येक शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्रति माह अनिवार्य रूप से महाविद्यालय द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि उपरोक्त न्यूनतम भुगतान शिक्षको को देय उपर्युक्त न्यूनतम वेतन के भुगतान तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निर्धारित वेतन देने के पश्चात शिक्षण शुल्क का 75 प्रतिशत से कम ही वेतन मद में व्यय हो रहा हो तो, महाविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा कि उपर्युक्त न्यूनतम निर्धारित वेतन

पता:–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोड:–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

को इस प्रकार से बढ़ाते हुए निर्धारित करें कि शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का कम से कम 75 प्रतिशत वेतन मद में व्यय हो।

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का प्रतिवर्ष आडिट सम्पन्न कराकर आडिट आख्या में इस आशय का विशेष उल्लेख किया जायेगा कि शिक्षण शुल्क की आय का 75 प्रतिशत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जा रहा है। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में आनलाइन कराया जायेगा।

शासनादेश 13 मार्च, 2020 द्वारा **निर्धारित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्ते निम्नवत होगी—**

1. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
2. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश एवं अन्य अवकाश, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगें।
3. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एव शिक्षक—छात्र अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
4. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षको को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेन्स मे प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
5. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध—पत्र में किया जाय। अनुबन्ध—पत्र की एक प्रति शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा एक—एक प्रति महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय मे जमा करायी जाये।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदया
2. प्रबन्धक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
3. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
4. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु

कुलसचिव